न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 4059–दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 05–10–12 पारित तहसीलदार, तहसील हुजूर प्रकरण कमांक 327/अ–27/11–12.

1– अरूण कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व. रामप्यारे विश्वकर्मा
2– समयलाल विश्वकर्मा पुत्र स्व. रामप्यारे विश्वकर्मा
निवासी ग्राम चौरहटा, तह0 हुजूर, जिला रीवा

——— आवेदकगण

विरूध्द

1– रामसुख विश्वकर्मा पुत्र स्व. रामकृपाल विश्वकर्मा
2– रामकुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व. रामकृपाल विश्वकर्मा
3– रमाशंकर विश्वकर्मा पुत्र स्व. रामकृपाल विश्वकर्मा
4– बाल्मीक बढई पुत्र स्व. स्व. मोहनलाल
5– सोखीलालबढई पुत्र स्व. स्व. मोहनलाल
6– नन्दलाल बढई पुत्र स्व. स्व. मोहनलाल
7– बाबूलाल बढई पुत्र स्व. स्व. मोहनलाल
8– गुलबसिया पत्नी स्व. स्व. मोहनलाल
9– रामविशाल विश्वकर्मा पुत्र स्व. गोविन्द विश्वकर्मा
10–छोटेलाल विश्वकर्मा पुत्र स्व. गोविन्द विश्वकर्मा
11–हीरालाल विश्वकर्मा पुत्र स्व. गोविन्द विश्वकर्मा
12–दशरथ विश्वकर्मा पुत्र स्व. गोविन्द विश्वकर्मा
13–अशोककुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व. ददनप्रसाद विश्वकर्मा
14–विष्णुप्रसाद विश्वकर्मा पुत्र स्व. ददनप्रसाद विश्वकर्मा
15–अजयकुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व. रामप्यारे विश्वकर्मा
16–अशोककुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व. रामप्यारे विश्वकर्मा
17–विजयकुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व. रामप्यारे विश्वकर्मा
18–गंगी पत्नी स्व. जागेश्वरप्रसाद विश्वकर्मा
19–लक्ष्मी पत्नी स्वत्र रामप्यारे
समस्त निवासी ग्राम चौरहटा, तह0 हुजूर, जिला रीवा

–– अनावेदकगण

श्री के0के0 विवेदी, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री तरूण कुमार पाण्डे, अभिभाषक – अनावेदक 1 से 3, 6 एवं 9 से 14

आदेश

(आज दिनांक 12.6.2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार, हुजूर जिला रीवा के निगरानी प्रकरण कमांक 327/अ–27/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 05–10–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि स्व. रामकृपाल विश्वकर्मा के पुत्रगण अनावेदक रामसुख, रामकुमार एवं रमाशंकर ने सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, रीवा एवं पंचम अपर जिला न्यायालय के स्वत्व घोषणा के आधार पर भूमि नं0 350 रकबा 0.25 एकड़ एवं आराजी नं0 351 रकबा 0.72 एकड़ के 1/5 हिस्सा यानि 0.19 एकड पर नामान्तरण एवं विभाजन हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। अनावेदक मोहन बढ़ई की मृत्यु होने से उनके वारिसान को पक्षकार बनाने के आदेश तहसीलदार ने दिनांक 5–10–12 में दिये। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया। आवेदकगण अभिभाषक का तर्क है कि मोहन की मृत्यु की जानकारी अनावेदकगण को थी, किन्तु उनके व्दारा नियत समयावधि 90 दिन के अन्दर उनके वारिसान को अभिलेख पर लेने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अनावेदकगण व्दारा विलम्ब को माफ करने हेतु समयावधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदनपत्र भी तहसील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिये तहसीलदार व्दारा

अनावेदकगण का आदेश 22 नियम 4 का आवेदनपत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गयी है। उनका यह भी तर्क है कि अनावेदक क0–1 से 3 व्दारा आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत अजयकुमार, अशोककुमार, विजयकुमार पुत्रगण रामप्यारे, गंगी पत्नी स्व. जागेश्वर, लक्ष्मी पत्नी स्व. रामप्यारे को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार करने में तहसीलदार व्दारा गलती की है। इस संबंध में उनका तर्क है कि व्यथित व्यक्ति/हितबध्द पक्षकार व्दारा पक्षकार बनाने हेतु स्वयं कोई पहल नहीं की गयी है, इसलिये अनावेदकों के आवेदनपत्र के आधार पर उन्हें पक्षकार बनाने में तहसीलदार व्दारा त्रुटि की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकों के अभिभाषक का तर्क है कि मोहन बढ़ई की मृत्यु की जानकारी तहसील न्यायालय में दिये जाने पर अनावेदकों को मोहन की मृत्यु की जानकारी हुई। मोहन के वारिसान को अभिलेख पर लेने हेतु बिना विलम्ब किये आवेदनपत्र शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसे तहसीलदार व्दारा स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमियों में अजयकुमार, अशोककुमार, विजयकुमार पुत्रगण रामप्यारे, गंगी पत्नी स्व. जागेश्वर, लक्ष्मी पत्नी स्व. रामप्यारे हितबध्द पक्षकार हैं, इसलिये उन्हें पक्षकार बनाने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार व्दारा पक्षकार बनाया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ प्रकरण के अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदक क0 1 से 3 ने सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, रीवा एवं पंचम अपर जिला न्यायालय के स्वत्व घोषणा के आधार पर भूमि नं0 350 रकबा 0.25 एकड़ एवं आराजी नं0 351 रकबा 0.72 एकड़ के 1/5 हिस्सा यानि 0.19 एकड़ पर नामान्तरण एवं विभाजन हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। मोहन बढ़ई की

मृत्यु होने पर अनावेदकों व्दारा सी पी सी के आदेश 22 नियम 4 के अन्तर्गत आवेदनपत्र शपथपत्र के साथ तहसील न्यायालय में 9–5–12 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह उल्लेख है कि 'अनावेदक क0–1 के व्दारा दी गयी जानकारी के पश्चात ज्ञात हुआ कि अनावेदक मोहनलाल की मृत्यु हो गई है. फलतः उनके वारिसों को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। फलतः मृतक मोहनलाल के वारिसों को प्रकरण में संयोजित करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।' आवेदक अरूण कुमार ने अपने जबाव में मोहन की मृत्यु 08–06–2011 को ग्राम दोही में होना एवं उसकी जानकारी आवेदकगण को होना दर्शाया है। अनावेदकगण व्दारा जानकारी होने पर मृत मोहन के वारिसान को अभिलेख में लेने हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। मृत मोहन के वारिसान को अभिलेख पर लेने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत करने में जानबूझकर या लापरवाही वश आवेदनपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब होना प्रमाणित नहीं है. इसलिये न्यायहित में आवेदनपत्र मान्य करने में तहसीलदार व्दारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अजयकुमार, अशोककुमार, विजयकुमार पुत्रगण रामप्यारे, गंगी पत्नी स्व. जागेश्वर, लक्ष्मी पत्नी स्व. रामप्यारे प्रकरण में हितबध्द पक्षकार नहीं हैं, ऐसी आपत्ति / तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिये अजयकुमार आदि हितबध्द पक्षकार होने से तहसीलदार व्दारा आदेश 1 नियम 10 का आवेदनपत्र स्वीकार कर उन्हें प्रकरण में पक्षकार बनाने में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं की गयी है। आवेदकगण व्दारा पंचम अपर जिला न्यायालय के नियमित सिविल अपील में पारित आदेश के विरूध्द मान. उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन होना बहस में व्यक्त किया, किन्तु इस संबंध में कोई प्रमाण आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और मान. उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रस्तुत किया गया है और ना ही इस संबंध में आपत्ति तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। ऐसी दशा में निगरानी में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 05–10–2012 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0